Phone/ Fax:- 0135-2531742/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-।।।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun uttarakhand
Web-http://pwd.uk.gov.in
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक :- 149 /01(13)भू0अ0-नि0-3/18 दिनांक- 10 /10/2018

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :- **Guidelines For diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980 – Simplified procedure for grant of permission for felling of trees standing on forest land to be diverted for execution of linear projects: reg.** के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक Guidelines For diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980 – Simplified procedure for grant of permission for felling of trees standing on forest land to be diverted for execution of linear projects: reg. के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 941/x-4-18/1-05(04)/2014 दिनांक 26.09.2018 जो कि समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित एवं प्रति अन्य के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है, कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने अधीनस्थ कार्यालय को निर्देशित करते हुये अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता स्तर-।। (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय पत्र दिनांक 26.09.2018 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1:- समस्त अधीक्षण अभियन्ता सिविल/ए0डी0बी0/विश्व बैंक, वृत्त,लो0नि0वि0.......................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2:- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

9.10.18
मुख्य अभियन्ता स्तर-।। (मुख्यालय)
9/10

I.T
up load करें।
11-10-18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

संख्याः 941 /X-4-18/1-05(04)/2014

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2018

विषयः **Guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act,1980 - Simplified procedure for grant of permission for felling of trees standing on forest land to be diverted for execution of linear projects: reg.**

महोदय,

वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के एफ0न0-11-306/2014-एफ0सी0(पीटी0), दिनांक 28 अगस्त, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित रेखीय परियोजनाओं (Linear projects) अंतर्गत वृक्षों के छपान, कटान तथा कार्य प्रारंभ किये जाने की प्रकिया की अनुमति को सरल-सुविधाजनक बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक एफ0न0-11-306/2014-एफ0सी0, दिनांक 07 मई, 2015 में संशोधन करते हुए प्राविधानित नवीन व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेश एफ0न0-11-306/2014-एफ0सी0, दिनांक 08 अगस्त, 2014 निर्गत किये गये थे, जिसके कम में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-285/X-4-14/1-05(04)/ 2014, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 एवं संशोधित शासनादेश-285/X-4-14/1-05(04)/2014, दिनांक 05 फरवरी, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को रेखीय परियोजनाओं (Linear projects) अंतर्गत वृक्षों के छपान, कटान तथा कार्य प्रारंभ किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया था।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक एफ0न0-11-306/2014-एफ0सी0, दिनांक 07 मई, 2015 में प्राविधानित व्यवस्था/शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत अपने क्षेत्रों की सीमा में रैखिक परियोजनाओं (Linear projects) हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के जिन प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हो व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश में वर्णित शर्तों के अनुरूप क्षतिपूरक देयताओं का भुगतान तथा ट्रासफर और म्यूटेशन ऑफ नॉन-फॉरेस्ट/रवेंन्यू फॉरेस्ट लैण्ड शर्तों का अनुपालन किया जा चुका हो, उन परियोजनाओं में वनभूमि पर खड़े वृक्षों को पातित करने एवं प्रयोक्ता एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए आपको अधिकृत किया जाता है।

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–285/X-4-14/1-05(04)/2014, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 एवं संशोधित शासनादेश–285/X-4-14/1-05(04)/2014, दिनांक 05 फरवरी, 2015 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा जबकि शासनादेशों के अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 041 (1)/X-4-18/1-05(04)/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव/लोक निर्माण/सिंचाई/पेयजल/ऊर्जा/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8. मुख्य अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम/पिटकुल/उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन देहरादून।
10. मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
11. मुख्य अभियंता, बी0आर0ओ0, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।